न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00267 (153/2016)

देवीलाल पुत्र श्योराम जाति जाट साकिन सवाई छानी तहसील भादरा–

अपीलान्ट

बनाम

1. राजेराम पुत्र शादीराम मृतक जरिये वारिसानः–

1/1 शान्ति देवी पुत्री राजेराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तह0 भादरा।

1/2 इन्द्रावती पुत्री राजेराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी त0 भादरा।

1/3 प्रताप सिंह

1/4 हवा सिंह } पुत्रगण राजेराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

1/5 जगदीश

1/6 सावित्री देवी पत्नी स्व0 भूप सिह पुत्र राजेराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

1/7 हरीराम पुत्र स्व0 भूपसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

1/8 राजबाला पुत्री स्व0 भूप सिह पुत्र राजेराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

1/9 कान्ता पुत्री स्व0 भूपसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (ए.डी.बी.) ––

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 द्वारा उपखण्डा अधिकारी, भादरा,

प्रकरण संख्या 192/2015 बअनवान देवीलाल बनाम राजेराम आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक –

1. इस प्रकरण में तथ्य में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कृषि भूमि के खाता विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 आरटीएक्ट में एक वाद पेश किया। वाद पत्र में रोही चक 5 एचएन पटवार हल्का छानी बड़ी तहसील भादरा में राजेराम के साथ संयुक्त खाता में 15 बीघा अर्थात 3.795 है0 भूमि होने का कथन करते हुए अपना 180 हिस्सा व प्रतिवादी राजेराम का 120 हिस्सा होने का कथन करते हुए वाद पत्र में वर्णितानुसार खाता व लगान अलग अलग कायम करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ का कानून नियम रूएदाद मिसल है। मातहत अदालत में विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज आपत्ति अपीलाण्ट की नहीं ली गई तथा ना ही कमीश्नर तहसीलदार ने कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिया है तथा विभाजन प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही अमल नहीं लाई गई। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार नहीं किये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्त ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
5. अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने खाता विभाजन का वाद पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी उपस्थिति नहीं आया ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाते समय अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। विधि अनुसार पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने अपेक्षित है जो नहीं किये गये हैं। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर उसपर सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णत शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 18.03.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/3/21

(करतारसिह पूनीया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner